तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/945** **राजेश कुमार बनाम उपखण्ड अधिकारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2025	पत्रावली अपीलान्ट्स की ओर श्री कमलेश कुमार जाट एड. ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत शीघ्र सुनवाई एवं विड्रा अपील प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। शा.फा.हो। वकील अपीलार्थी श्री कमलेश कुमार जाट एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अपील विड्रो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उपयुक्त उनवानी अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.09.2025 नियत है। प्रकरण में अपीलार्थीगण अपने न्यायिक उपचार के अन्य अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान अपील को विड्रा करना चाहते हैं। प्रकरण की अत्यावश्यक प्रकृति को देखते हुए पत्रावली को तलब कर आज की तारीख पेशी में लिया जाना प्रार्थनीय है। अपील को विड्रा कर लिये जाने से प्रत्यर्थीगण को कोई विधिक हानि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त उनवानी अपील की पत्रावली को आज पेशी में ली जाकर अपील को विड्रा करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण स्वंय ही उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट्स द्वारा राजेश कुमार पुत्र गिरधारी एवं युजवेन्द्र पुत्र रघुवीर सिंह के प्रार्थना पत्र को पहचान के रूप में सत्यापित किया गया है। अतः अपीलार्थीगण का प्रा. पत्र अपील विड्रो किये जाने स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण स्वंय अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो। (दीप्ति कछवाहा) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	अपीलान्ट कमलेश कुमार जाट एडवोकेट